<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, प्रतापगढ़।</u>

सत्र परीक्षण संख्याः 420/14
अ0सं0 343/13
धारा 363,366,376 भा0दं0सं0
थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़।
राज्य प्रति कुलदीप सिंह उर्फ गुरूदीप

<u>दिनांकः 23.04.2019</u>

प्रार्थना पत्र 18क मृत्युन्जय सिंह सुत कमला प्रसाद, निवासी सिगठी खालसा, थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ द्वारा अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी अभियोग की घटना दिनांक 13.12.2013 समय 7 बजे रात्रि के बाबत विपक्षीगण गुरूदीप सुत राम बहाल उर्फ चलकू, राम बहाल सुत रामधनी व जैतूना पत्नी राम बहाल साकिन सिगठी खालसा, थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0 343/13 अन्तर्गत धारा 363,366 भा0दं0सं0 में पंजीकृत कराया था, जिसमें अन्वेषणोपरान्त विवेचक ने केवल अभियुक्त कुलदीप उर्फ गुरूदीप सिंह सुत राम बहाल उर्फ चलकू के विरूद्ध धारा 363,366,376 भा0दं0सं0 अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है। अन्वेषण अधिकारी ने नाजायज नफा लाभ लेकर अभियुक्त राम बहाल उर्फ चलतू सुत रामधनी तथा जैतूना पत्नी राम बहाल के विरूद्ध अभियोग न्यायालय में प्रेषित नहीं किया है, जबकि उपरोक्त अभियुक्तगण पूर्व से अभियोग में लिप्त है, जैसाकि साक्ष्य में उनके संबंध में आयी है। अभियुक्त नं0 1 व 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद साक्षी पी0डब्लू0 1 व 2 ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में न्यायालय में दोनों अभियुक्तों को घटना में शामिल होने का साक्ष्य दिया है। उक्त वाद में साक्षी के रूप में अपृहता पीड़िता पूजा सिंह को न्यायालय में परीक्षित किया जा चुका है, जिसमें स्पष्ट रूप से पीड़िता पूजा का घटना दिनांक 13.12.2013 को 7 बजे शाम बाबत न्यायालय में अपना साक्ष्य दिया कि घटना दो साल सात माह पहले की 7 बजे की है। मेरे घर कुलदीप की मॉ जैतूना आयी थी उस समय मेरे घर का कोई नहीं था और कहा कि तुम्हारे पिता ने भैंस बेंचा है, जो रूपया पैसा व गहना आदि रखा है, लेकर मेरे साथ चलो। कुलदीप की बहन बीमार है देखने जाना है। प्रार्थी की पुत्री कम पढ़ी लिखी व भोली भाली थी। जैतूना की बातों में विश्वास करके पैसा व जेवरात लेकर अपने साथ मऊआरी बाग ले गयी और वहॉ पर अभियुक्त के पिता राम बहाल साइकिल लेकर खड़े थे और साइकिल पर बैठाकर अभियोगी की पुत्री पूजा को शीतलागंज ले गये, वहॉ पर कुलदीप टैम्पों लेकर खड़ा था। टैम्पों में बैठाकर अभियोगी की पुत्री पूजा को चिलबिला ले गया और वहॉ से अपनी बहन के गॉव सोना का पुरवा थाना मऊआइमा, जिला इलाहाबाद ले गया और बहन के यहॉ रखकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया। अतः उपरोक्त के आधार पर अनुरोध किया कि राम बहाल उर्फ चलकू तथा जैतूना

को परीक्षण हेतु तलब किया जाये।

सुना प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

धारा 319 दं0प्र0सं0 के प्राविधानित करती है कि (1)–जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति ने जों अभियुक्त नही है, कोई ऐसा अपराध किया है, जिसके लिये ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिये जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत हो, कार्यवाही कर सकेगा।

(2)– जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय मे हाजिर न हो, वहां पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार गिरफ्तार या समनित किया जा सकेगा।

(3)– कोई व्यक्ति जों गिरफ्तार या समन न किये जाने पर भी न्यायालय मे हाजिर हो, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिये, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत हो, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिये निरूद्ध किया जा सकेगा।

(4)– जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करे, वहां–

(क)– उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से प्रारम्भ की जायेगी और साक्षियो को फिर से सुना जायेगा,

(ख)– खण्ड (क) के उपबन्धो के अधीन रहते हुये, मामले मे ऐसे कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान किया था, जिस पर जांच या विचारण प्रारम्भ किया गया।

उपरोक्त प्रावधान के परिशीलन से स्पष्ट है कि किसी अपराध के विचारण के दौरान न्यायालय को साक्ष्य से यदि यह प्रतीत होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध कारित किया है, यदि उसे अभियुक्त नही बनाया गया है, तो उस व्यक्ति को बतौर अभियुक्त विचारण के लिये किसी भी प्रक्रम पर आहूत किया जा सकता है। इस प्रकार यह यक्ष प्रश्न विचारणीय है कि क्या प्रस्तावित अभियुक्तगण के विरूद्ध अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य की गुणवत्ता इस स्तर की है कि उन्हे बतौर अभियुक्त विचारण हेतु आहूत किया जा सकता है।

प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन की तरफ से 3 साक्षी परीक्षित कराये गये है। पी0डब्लू0 1 के रूप में वादी मुकदमा मुत्युन्जय सिंह परीक्षित होते है। इन्होंने न्यायालय में दिये अपने सशपथ बयान में कहा है कि घटना दिनांक 13.12.2013 की शाम 7 बजे की है। मेरी लड़की पूजा सिंह जिसकी उम्र 14 वर्ष की थी। गुरूदीप उर्फ कुलदीप बहला फुसलाकर उसे भगा ले गया। मेरे घर से 30 हजार रूपये, पायल 10 तोले की सोने की जंजीर भी साथ ले गये। गुरूदीप

मेरे घर के पास में है। वह अक्सर मेरे घर उठता बैठता था। जब काफी देर हो गयी, तो उसे शंका हो गई। मैंने गुरूदीप उर्फ कुलदीप को फोन किया उसने तब कहा यदि अपने मॉ बाप की राय से पूजा को लेकर जा रहा है, जो करना हो कर लो। प्रति परीक्षा में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में इस गवाह ने कहा कि पूजा मेरी छोटी लड़की है उसका दाखिला मैंने सगोठी खालसा चौहान, प्रतापगढ़ स्कूल में किया था। स्कूल में पूजा का दाखिल किस दिन, किस तारीख व किस सन में कराया था उसे याद नहीं है। मैंने अपने लड़के व लड़की की जन्मतिथि नहीं बता सकता। उसे अपनी लड़की की जन्मतिथि नहीं मालुम है। पी0डब्लू0 2 के रूप में पीड़िता पूजा परीक्षित होती है। इस साक्षी ने अपने शपथ पत्र बयान में कहा कि मेरे घर पर घटना वाले दिन शाम 7 बजे कुलदीप की मॉ गयी थी, तो उस समय मेरे घर पर कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता जी भैंस बेंचकर रूपये रखे है गहना रूपये लेकर मेरे साथ चलो, उसे लेकर मउआरी बाग में आये वहॉ पर कुलदीप के पिता राम बहाल साइकिल लेकर खड़े थे तथा शीतलागंज ले गये वहॉ कुलदीप टैम्पों लेकर खड़ा था। टेम्पो पर कुलदीप उसे बैठाकर चिलबिला ले आया। अपनी बहन के गॉव सोना का पुरवा थाना मउआइमा, इलाहाबाद ले आया अपनी बहन के यहॉ उसे 4 दिन तक रखा। वहॉ कुलदीप सिंह मेरी मर्जी के विरूद्ध मेरे साथ बलात्कार किया था। पीडिता का धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया गया। धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान में मजिस्ट्रेट के समक्ष पीडिता ने यह बयान दिया कि मैंने फोन करके कुलदीप को बुलाया था। फोन पर रो–गाकर मैंने कुलदीप को बुलाया था। कुलदीप रखहा आये और मैं भी घर से निकल गयी। घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी थी। कुलदीप के साथ मैं लखनऊ गयी जहॉ 2–3 दिन तक रही। उसके बाद मै इलाहाबाद चली आयी घर वालो ने रिपोर्ट लिखा दिया था और फोन से मुझे बताया और फ़ोन से हमे बताया कि रिपोर्ट लिखा दिया है। मैं घबरा गयी और उसने कुलदीप को लेकर प्रतापगढ़ चली आयी। उसने मुझे और कुलदीप को थाना कोतवाली पकड़ ले गये। पीड़िता ने धारा 164 दं0प्र0सं0 के उपरोक्त बयान को तथा 164 दं0प्रं0सं0 के बयानों पर अंकित अपने हस्ताक्षर और फोटो चित्र को बतौर प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है।

माइकल मैकान्डों बनाम सी0बी0आई0 2000 (3) एस सी सी 262 एस सी इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा शक के बिना किसी को बतौर अभियुक्त तलब नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को देखना होगा कि जिस साक्ष्य पर विश्वास किया जा रहा है उसके आधार पर प्रथमतः अभियुक्त दोषसिद्धि की जा सकती है अथवा नहीं।

मोहम्मद शफी बनाम मोहम्मद रफीक 2007(58)ए. सी. सी. पेज 254 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि दण्ड

प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत न्यायालय को अपना क्षेत्राधिकार प्रयोग करने से पूर्व इस तथ्य का समाधान होना चाहिये कि अभियुक्त को दोषसिद्ध होने की पूरी सम्भावना है।

कैलाश बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, ए0 आई0 आर0 2008(एस0 सी0) 1564 के मामले मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि द0 प्र0 सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत केवल इस आधार पर आदेश नही किया जा सकता है कि कुछ साक्षियो ने किसी व्यक्ति का अपने साक्ष्य मे उल्लेख किया है। दं0 प्र0 सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत विवेकाधिकार का उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिये। जब न्यायालय को इस तथ्य का समाधान हो जाये कि ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है, तब उसें विचारण हेतु आहूत किया जाना चाहिये।

– **वृन्दावन दास एवं अन्य बनाम वेस्ट बंगाल 2009 आई0 ए0 डी0, सर्वोच्च न्यायालय पेज 543** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया हैकि द0 प्र0 सं0 की धारा 319 उन परिस्थितियो में आकृष्ट होती है, जब अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य इस कोटि का हो कि अभियुक्त जिसें तलब किया जाना है, उसे दोषसिद्ध किया जा सकता है।

– **सरबजीत सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य ए0 आई0 आर0 2009 एस0 सी0 पेज 2792** के मामलें मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि न्यायालय को आदेश करते समय इस तथ्य का समाधान होना चाहिये कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत जिस व्यक्ति को बतौर अभियुक्त आहूत किया जाना है, उसके विरूद्ध इस आशय का साक्ष्य हो कि उस व्यक्ति की दोषसिद्धि की जा सकती है।

– **सरोजबेन अश्विन कुमार शाह एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य 2011 ए0 आई0 आर0(कि0) पेज 750** मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि दं0 प्र0 सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत यद्यपि यह न्यायालय का विवेकाधिकार है, किन्तु इसका उपयोग नियमित रूप से नही किया जा सकता है। यह न्यायालय की असाधारण शक्ति है, जिसका उपयोग बहुत कम किया जाना चाहिये, यदि साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि ऐसें व्यक्ति ने अपराध किया है, केवल तभी विचारण के लिये आहूत किया जा सकता है। मात्र संदेह के आधार पर अभियुक्त विचारण के लिये आहूत नही किया जा सकता है।

प्रश्नगत प्रकरण में जैसाकि उपरोक्त विषलेशित किया जा चुका है कि अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य इस समाधान पर पहुॅचने के लिये विचारण न्यायालय को ले जाने के लिये पर्याप्त होना नहीं पाया गया कि वह दोषसिद्धि की ओर ले जायेगा। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विषलेशण एवं विधि व्यवस्थाओं` आलोक में इस निष्कर्ष पर पहुचता हूॅ कि आवेदक का 18क प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 18क अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन दिनांक 03.05.2019 को पेश हो।

ह0

दिनांक 23.04.2019

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0,
प्रतापगढ़।